रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2015/वैशाख 9, 1937
No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2015 /VAISAKHA 9, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 24 अप्रैल, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/5/95/2015.–बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 38(7) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए(2)(जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) `अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) `प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना की अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए शुल्क

(3) बीमाकर्ता को समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शुल्क वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(क) उन पॉलिसियों के संबंध में जो अधिनियम की धारा 14(2) के उपबंधों के अधीन विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई हैं, वसूल किया जानेवाला शुल्क लागू करों सहित 50 रुपये (रुपये पचास मात्र) से अधिक नहीं होगा

(ख) उपर्युक्त विनियम (3)(क) के अंतर्गत उल्लिखित पॉलिसियों को छोड़कर जारी की गई अन्य पॉलिसियों के संबंध में वसूल किया जानेवाला शुल्क लागू करों सहित 100 रुपये (सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा

(4) कोई भी अन्य सेवाएँ, जैसे अंतरण अथवा समनुदेशन के तथ्य को अभिलिखित करना अथवा अधिनियम की धारा 38 में निर्धारित समनुदेशन अथवा अंतरण से संबंधित कोई अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए कोई भी अन्य शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने तथा स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

(5) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने में जहाँ कोई शंका अथवा कठिनाई उत्पन्न होती है वहाँ प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./ 161/29/15]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 24th April, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015

F. No. IRDA/5/95/2015.— In exercise of the powers conferred by Section 114A(2)(zd) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Section 38(7) of the Insurance Act, 1938 the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations namely:-

1. **Short title and commencement** — (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette from such date.

Definitions

2. In these regulations, unless the context requires otherwise—

(*a*) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time;

(*b*) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;

(c) all words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

Fee for granting acknowledgement of Notice of Assignment or Transfer

(3) An Insurer is permitted to collect the following fee for granting a written acknowledgement of the receipt of notice of assignment or transfer.

(a) In respect of those policies that are issued in electronic form as specified by the regulations under the provisions of Section 14 (2) of the Act the fee collected shall not exceed Rs 50 (Rupees fifty only) inclusive of applicable taxes

(b) In respect of policies issued other than those referred under Regulation (3) (a) above the fee collected shall not exceed Rs 100 (Rupees Hundred Only) inclusive of applicable taxes

(4) No other fee shall be collected for rendering any other services such as, recording the fact of the transfer or assignment or any other services connected to the assignment or transfer prescribed in Section 38 of the Act.

Power to Remove Difficulties and Issue Clarifications

(5) Where any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.III/4/Exty./161/29/15]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.